न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 1/2018 एफ एस एस ए एक्ट

1. सरकार जरिये महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा,जिला दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री सुरेश चन्द पुत्र श्री माधोलाल सैनी
   एफबीओ मैसर्स— माधोलाल मिष्ठान भण्डार, भरतपुर रोड, महवा, जिला दौसा।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएसए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त सं0 1 स्वयं उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांक 21.3.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार मुझे खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज.जयपुर के आदेश क्रमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा मुझे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

यह है कि दिनांक 6.8.2017 को दोपहर बाद 02:10 बजे मैसर्स— माधोलाल मिष्ठान भण्डार, भरतपुर रोड, महवा, जिला दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री सुरेश चन्द पुत्र श्री माधोलाल सैनी उप्रस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहां तो उसने खाद्य पदार्थ का रजिस्ट्रेशन न होना जाहिर किया।

यह है कि निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान पर एक एल्यूमिनियम की बडी परात में करीबन 10 किग्रा घेवर (वनस्पति से निर्मित) चीनी लगे हुए आम जनता को बेचने हेतु रखे हुये थे, में मिलावट का शक होने पर इनमे से नमूने की जॉच हेतु 2 किग्रा घेवर (वनस्पति से निर्मित) चीनी लगे हुए खरीदे। जिनकी कीमत 200 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

यह है कि खरीदशुदा घेवर (वनस्पति से निर्मित) चीनी लगे हुए को चाार साफ सूखी एवं खाली कांच की बोतलों में बराबर—बराबर डालकर एयरटाइट ढक्कन से बन्द किया व लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व (विक्रेता) एफबीओ के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को बोतलों पर चिपकाकर बोतलो को अलग अलग एक खाकी कागज में लपेट कर किनारों को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाकर बोतलों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलों को चार—चार जगह से उपर नीचे दोनो साइडों में चपडी से सील मोहर कर बोतलो पर एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व खाकी कागज पर आये व गवाहान व स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील्ड बन्द बोतलों को अपने कब्जे में लिया।

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह है कि आवेदक ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सीलबंद बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतिंया अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद बोतल व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च0श्रे0क0 मुख्यालय द्वारा दिनांक 8.8.2017 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहा जमा करवाये।

यह है कि नमूने की दो सील बन्द बोतल व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 8.8.2017 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने की चतुर्थ सीलबंद बोतल व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 9.8.2017 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि उक्त खाद्य पदार्थ घेवर (वनस्पति से निर्मित) चीनी लगे हुए के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./1826/एक्ट/2017/1898 दिनांक 23.8.2017 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ घेवर (वनस्पति से निर्मित) चीनी लगे हुए का नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया।

न्याय निर्णय आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस सुनी गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निवेदन किया गया कि उक्त खाद्य पदार्थ घेवर (वनस्पति से निर्मित) चीनी लगे हुए का नमूना वनस्पति से निर्मित होना अप्रार्थी द्वारा व्यक्त किया गया है जबकि खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट में वनस्पति होना नहीं पाया गया है। जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि उक्त खाद्य पदार्थ घेवर कई पदार्थो को मिलाकर तथा उनको गर्म किया जाकर बनाया जाता है जिससे उनका मूल स्वरूप बदल जाता है। इसके अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ घेवर जिन पदार्थो से बनाया गया है उनका नमूना लेना चाहिये था जिससे यह स्पष्ट होता कि खाद्य पदार्थ घेवर बनाने में काम में लिये गये पदार्थ मिलावटी है या शुद्ध है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नियमानुसार नमूना नहीं लिया गया है। अतः प्रकरण को ड्रोप फरमावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./1826/एक्ट/2017/1898 दिनांक 23.8.2017 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ घेवर (वनस्पति से निर्मित) चीनी लगे हुए सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। जो एफएसएसए नियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी श्री सुरेश चन्द पुत्र श्री माधोलाल सैनी एफबीओ मैसर्स– माधोलाल मिष्ठान भण्डार, भरतपुर रोड, महवा, जिला दौसा द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ घेवर (वनस्पति से निर्मित) चीनी लगे हुए सबस्टैण्डर्ड का विक्रय करने पर अपराध कारित होने के फलस्वरूप 15000/– (अक्षरे पन्द्रह हजार) रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 21.3.2018 के एक. माह के अन्दर–अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 21.3.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/8644-8646

दिनांकः–28.3.2018

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को भेजकर लेख है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी को समय–समय पर खाद्य पदार्थो की जांच हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान किया जाना सुनिश्चित करे।
3. श्री सुरेश चन्द पुत्र श्री माधोलाल सैनी एफबीओ मैसर्स– माधोलाल मिष्ठान भण्डार, भरतपुर रोड, महवा, जिला दौसा

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official